First Appeal Under Section 19(1) of RTI Act 2005

सेवामें,

कार्यपालक निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी

पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

क्षेत्रीय मुख्यालय (पश्चिम क्षेत्र–।।)

प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,

समा सावली रोड़, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड– 390008

1 अपीलार्थी का नाम व पता–

अल्पना जैन पत्नी श्री अनिल जैन

फ्लेट नम्बर 502, हिंतावाला टॉवर

सेलिबेंशन मॉल के पास, भुवाणा, उदयपुर (राजस्थान) 313001

2 लोक सूचना अधिकारी/रेस्पोडेन्ट का नाम व पता–

सीनियर जनरल मेनेजर

एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पश्चिम क्षेत्र–।।)

प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,

समा सावली रोड़, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड– 390008

3 अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो की सूची–

अपीलार्थी द्वारा इस अपील ज्ञापन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति संलग्न प्रस्तुत की गई है जो इस अपील ज्ञापन का अंग समझा जावे तथा निम्नलिखित दस्तावेजों की अर्न्तवस्तु को इस अपील ज्ञापन के साथ पढा जावे।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांकित 10.08.2023 की प्रति मार्क–1

आवेदन शुल्क के रूप में पेश पोस्टल ऑर्डर संख्या 57F 554614 की प्रति मार्क–2

स्पीड पोस्ट रसीद दिनांकित 10.08.2023 की प्रति मार्क–3

स्पीड पोस्ट रसीद दिनांकित 10.08.2023 के दिनांक 16.08.2023 को प्रत्यर्थी को डिलीवर होने के प्रमाण की प्रति मार्क–4

अपील दिनांकित 04.07.2023 के आदेश की प्रति मार्क–5

4 अपील किये जाने के संक्षेप तथ्य –

प्रत्यर्थी ने विधि द्वारा विहित अवधि में कोई जवाब या सूचना प्रदान नहीं की। इस कारण व्यथित होकर अन्दर मियाद प्रथम अपील पेश की जा रही है।

5 विवाद्यक बिन्दु–

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 उपधारा 5 के अनुसार, किसी अपील कार्यवारियों में, यह साबित करने, कि अनुरोध की अस्वीकृति न्यायसंगत थी, का भार उस केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथास्थिति पर होगा, जिसने अनुरोध को अस्वीकृत किया।

किसी भी प्रकरण के विधिसम्मत निस्तारण हेतु हेतु विवाद्यक बिन्दु निर्धारित किया जाना आवश्यक है ताकि प्रकरण का गुणावगुण पर न्यायसंगत निस्तारण किया जा सके तथा सभी पक्षकार को जीत या कारण पता चल सके। इस कारण यहॉ कुछ विवाद्यक बिन्दु का निर्धारण किया जा रहा है।

–क्या प्रत्यर्थी ने उक्त मामले में सद्भावपूर्वक कार्य किया है।

–क्या आवेदक निशुल्क सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

6 प्रार्थना तथा अनुतोष का आधार–

आवेदन मे वांछितं प्रमाणित प्रति को प्राप्त करने का आवेदक का विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2–जे में प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है। प्रमाणित प्रतियॉ के रूप में प्रदत्त दस्तावेज पर प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरित व दिनांकित किया जावेगा, नाम पदनाम की मोहर लगायी जायेगी एवं प्रमाणित शुद्ध प्रति की मोहर भी लगायी जायेगी तथा प्रदत्त दस्तावेजो के शुद्ध प्रति होने का लिखित प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा। दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियॉ जारी करने से संबंधित तथ्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 में अवलोकन किया जा सकता है। आरटीआई आवेदन का निस्तारण करने संबंधी उपबन्ध अधिनियम की धारा 7 में किया गया है लेकिन प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थी ने आवेदन का निस्तारण धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया है तथा आज तक कोई सूचना प्रदान नही की और कोई जवाब भी नही दिया। अपील दिनांकित 04.07.2023 के आदेश के अवलोकन से भी यह पूर्णत प्रमाणित होता है कि उक्त सूचना प्रत्यर्थी के कब्जे में है, इस कारण यहा कोई बहानेबाजी करने का भी आधार नही है। इस प्रकार प्रत्यर्थी ने उसके विधिक दायित्वो का समुचित निर्वहन नही किया है। इस प्रकार प्रमाणित हो जाता है कि उक्त मामले में प्रत्यर्थी ने सद्भावपूर्वक कार्य नही किया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 3 के तहत आवेदन को उक्त अधिकार प्राप्त है जिसके तहत सूचना लेने का आवेदक का सवैधानिक अधिकार है। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर सूचना नही देना भी प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक धारा 7 उपधारा 6 के अनुसार वांछित सूचना निशुल्क प्राप्त करने का अधिकारी है।

सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 में अपील के निर्णय की अर्न्तवस्तु के बारे में प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार अपील न्यायालय का निर्णय लिखित होगा और उसमें निम्न का स्पष्ट वर्णन होगा– अवधार्य प्रश्न, उन पर विनिश्चय, विनिश्चय के कारण, प्रदत्त अनुतोष। अतः अपीलार्थी द्वारा पेश तर्को, तथ्यों, सबूतो, न्यायिक दृष्टान्तों, नियमों का अवलोकन करते हुए यह आदेश 41 नियम 31 में विहित प्रावधानो के अनुसार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार अपील का निस्तारण करते समय अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर विचार कर

फाईन्डिंग दिया जाना आवश्यक है। हाल ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाम मैसर्स इन्दौर कम्पोजिट प्राईवेट लिमिटेड सिविल अपील नम्बर 7240/2018 निर्णय दिनांक 26.07.2018 में प्रतिपादित किया कि फैसला ऐसा लिखा जाना चाहिए कि जीतने वाले पक्ष को जीत का कारण पता चल सके और हारने वाले को हार का कारण। उन्हें फैसला लिखने में किसी तरह की कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि हर मामले में तार्किक फैसला देना चाहिए। फैसले में मामले का तथ्य होना चाहिए। पक्षकारों की दलीले होनी चाहिए। मामले में कानूनी सिद्धान्त लागू करने और किन आधारो पर फैसला किया गया, इसका जिक्र जरूर होना चाहिए। विस्तृत जानकारी के बिना लिखे फैसलों का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार प्रथम अपील का विधिसम्मत निर्णय पारित करना आवश्यक है।

उपरोक्तानुसार पूर्णत स्पष्ट है कि प्रार्थी को विधिक रूप से चाही गई सूचना प्रदान कराया जाना अपेक्षित होने से सूचना दिलायी जाना आवश्यक हैं। *यदि प्रार्थी को अब भी सूचना प्रदान नहीं करायी जाती है तो प्रार्थी द्वारा की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही में अपील व्यय, क्षतिपूर्ति व अन्य विधिक अनुतोष की मांग की जावेगी जिसमें प्रत्यथी को बचाव का कोई आधार नहीं होगा।*

यदि प्रत्यर्थी द्वारा उक्त अपील में कोई जवाब पेश किया जाता हैं तो उसे उस समय तक रेकर्ड पर नहीं लिया जावे जब तक कि प्रत्यर्थी ऐसे जवाब की एक प्रति अपीलार्थी को देने का विधि अनुसार मान्य दस्तावेजी प्रमाण यानी पोस्टल रसीद या पावती रसीद प्रस्तुत नहीं करे।

प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थी को जान–बूझकर सूचना प्रदान नहीं करके सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने में काफी धन व समय व्यय करना पड़ा तथा काफी असुविधा एवं परेशानी हुई जिसके लिये अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी/प्रत्यर्थी पर उक्त जवाब की दिनांक से सूचना प्रदान किये जाने तक 250/–रूपये प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति अधिरोपित की जावे तथा अधिनियम की धारा 20(2) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी/प्रत्यर्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। तथा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी से क्षतिपूर्ति राशि 10,000/–रूपये दिलाया जावे। इससे प्रत्यर्थी को सूचना के

अधिकार के प्रावधानों का पालन करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। अपील निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत है।

7 प्रार्थना तथा चाहा गया अनुतोष– अतः प्रार्थना है कि –

(1) प्रार्थी/अपीलार्थी को उसके द्वारा आवेदन पत्र में चाही गयी सूचना आवेदन के अनुरूप सुपठनीय, प्रमाणित व स्पष्ट रूप से निःशुल्क प्रदान करायी जावे।

(2) प्रत्यर्थी पर आवेदन की प्राप्ति दिनांक 16.08.2023 से सूचना प्रदान कराने तक 250/–रूपये प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति अधिरोपित की जावे तथा धारा 19 नियम 8 ख के अनुसार प्रार्थी/अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति राशि 10,000/–रूपये दिलाये जावें। प्रत्यर्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। अन्य अनुतोष, जो श्रीमान् उचित समझे, दिलाया जावे।

(3) अन्य अनुतोष, जो श्रीमान् उचित समझे, दिलाया जावे।

9 सत्यापन–मैं अल्पना जैन पत्नी डॉ अनिल जैन, आयु– वयस्क, निवासी– उदयपुर (राज0) प्रमाणित करती हूँ कि उक्त अपील मेमो की कलम संख्या एक से अन्त में वर्णित समस्त इबारत मेरे निजी ज्ञान से सही एवं सत्य है।

10 यह कि प्रत्यर्थी के जवाब की प्रति अपीलार्थी को प्रदान करायी जावे तथा अपील पर नियमानुसार शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही कर अपील निस्तारित कर अपील के निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रदान करायी जावे।

स्थान : उदयपुर

दिनांक : 20.09.2023

ह0 अपीलार्थी

(1)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

1 कार्यालय का नाम–

कार्यालय कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र–।।)

पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,

समा सावली रोड़, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड– 390008

2 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता–

कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र–।।)

पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,

समा सावली रोड़, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड– 390008

3 आवेदक/प्रार्थीया का नाम व पता–

अल्पना जैन पत्नी श्री अनिल जैन

पत्र व्यवहार का पता– फ्लेट नम्बर 502, हिंतावाला टॉवर

सेलिबेंशन मॉल के पास, भुवाणा, उदयपुर (राजस्थान) 313001

4 दूरभाष–

5 आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक– 10.08.2023

6 आवेदन पत्र शुल्क– 10/–रूपये का पोस्टल ऑर्डर नम्बर 57F 554614

7 चाही गयी जानकारी/प्रमाणित प्रतिलिपी का विवरण–

ए– यह कि कार्यपालक निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी, पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड वडोदरा के प्रथम अपील आदेश दिनांक 03.08.2023 की कलम संख्या 4 में वर्णित तथाकथित आरूषी जैन के नाम से विगत तीन वर्ष में प्राप्त 15 आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

बी– यह कि कार्यपालक निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी, पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड वडोदरा के प्रथम अपील आदेश दिनांक 03.08.2023 की कलम संख्या 4 में वर्णित तथाकथित आरूषी जैन के नाम से विगत तीन वर्ष में प्राप्त 15 आवेदन पत्र के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया सभी जवाब की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

Alpana

COUNTERFOIL

इसे फाड़कर पृथक अपने पास रख लें।
To be detached and kept
by the Sender.

पोस्टल आर्डर

₹ 10

To whom payable

At what office Vadodara

क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed

भेजने की तारीख
Date sent 10/8/23

57F 554614

2

ER1AAA22185IN IVR:69A21AAA22185
SP UDAIPUR H MAGRI S.O <313002>
Counter No:1,10/08/2023,10:18
To:DIRECTOR,RIYA KEHTI
PIN:390007, Racecourse SO
From:ALPANA JAIN,HITADALA TOWER
Wt:10gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
India Post

भारतीय डाक

3

10/8/23

Alpana Jain

delivered on 16/8/23

ER166822185IN